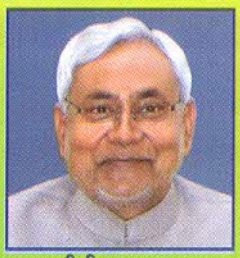

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

विजय कुमार सिन्हा
श्रम संसाधन, मंत्री बिहार सरकार

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

श्रमिक कल्याण

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

निर्माण श्रमिको के बढ़ते कदम...

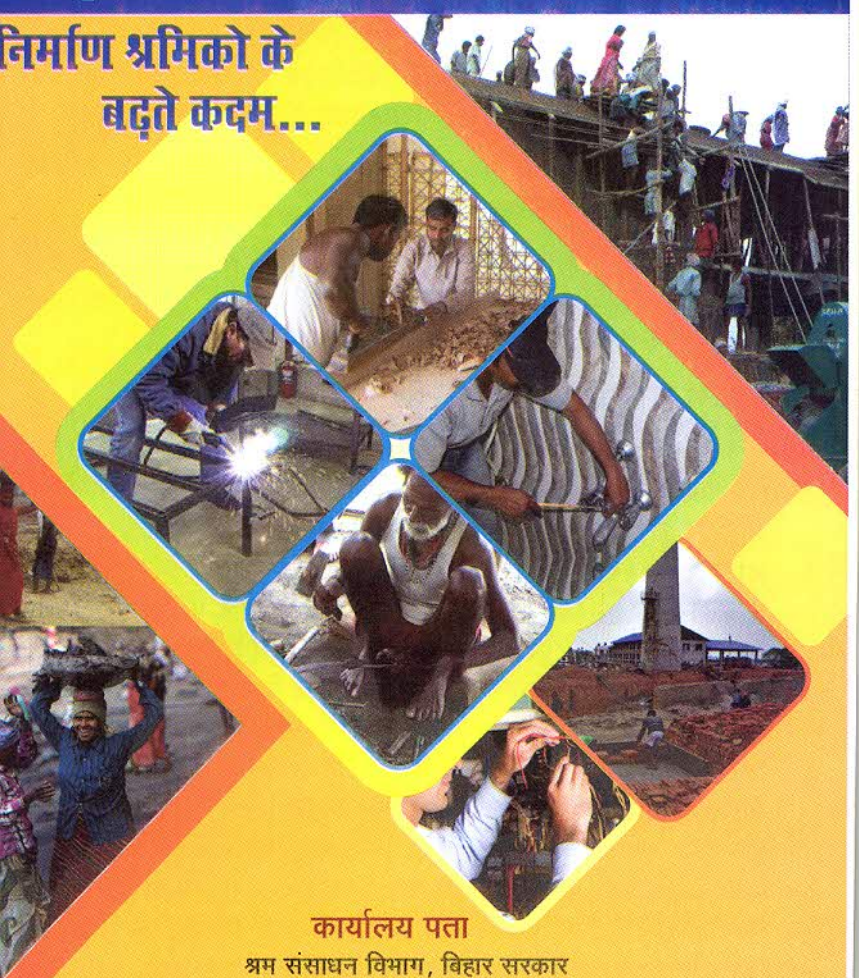

कार्यालय पता

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
नियोजन भवन, पटना– 800001
दूरभाष– 0612–2525558
Email-biharbhawan111@gmail.com

मा॰ मंत्री श्रम संसाधन विभाग कोषांग, दूरभाष : 0612 : 2528450

Website-www.bocw-bihar.in

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

निर्माण कामगार कई श्रम कानूनों से आच्छादित हैं, परन्तु इसके लिए विशेष श्रम कानूनों की आवश्यकता महसूस करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रम कानून बनाये गये :–

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996
2. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रथम कानून को लागू करने के लिये, "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 एवं "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016" अधिसूचित किया गया है। द्वितीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा हीं बनाया गया है।

इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के प्रावधान किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमावली द्वारा प्रावधानित कार्यकलापों के संचालन के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

निर्माण कामगार कौन ?

बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं :–
(1) भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, (2) राज मिस्त्री, (3) राज मिस्त्री का हेल्पर, (4) बढ़ई, (5) लोहार, (6) पेंटर (7) भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन, (8) भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, (9) सेंट्रिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, (10) गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, (11) कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले, (12) महिला कामगार (रेजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है, (13) रौलर चालक, (14) सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर (15) सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, (16) बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, (17) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि (18) ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, (19) रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (20) मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर) उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है ।

निर्माण कामगारों का पंजीयन

(क) कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना आवश्यक है । पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है ।

(ख) वैसे निर्माण कामगार जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। उम्र के सत्यापन के लिए जन्म एवं मृत्यु निबंधक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, चिकित्सा पदाधिकारी, जो सहायक सिविल सर्जन के स्तर से नीचे का नहीं हो द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड मान्य है।

(ग) आवेदक को पूर्व के वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र नियोजक/संवेदक/भवन निर्माण मजदूर संघ/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक/श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी द्वारा दिया गया होना आवश्यक है। आवेदन पत्र पर भी कार्य संबंधी प्रमाण अंकित किया जाना विधिमान्य होगा, बशर्ते कि संबंधित द्वारा प्रमाणित हो। मनरेगा कामगारों को कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा)/पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (जॉब कार्ड पर अंकित कार्य का ब्योरा की छायाप्रति सहित) संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र पर अंकित कराना होगा।

आवेदक को रूपये 20/– निबंधन शुल्क के रूप में एवं 05 वर्षो तक के लिए अंशदान शुल्क (पचास पैसे प्रति माह की दर से) कुल रूपये 30/– अर्थात निबंधन एवं अंशदान शुल्क एकमुश्त कुल रूपये 50/– तथा दो (02) फोटो, उम्र को प्रमाणित करने हेतु प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा एवं बैंक खाता की छाया प्रति (IFS Code सहित) विहित आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। निबंधन 05 वर्षो के लिए विधिमान्य होगा। 05 वर्षो की सदस्यता अवधि बीत जाने के पश्चात, यदि निर्माण श्रमिक सदस्यता बहाल रखने की अहर्ता रखते हैं तो अगले 05 वर्षो के लिए नवीकरण हेतु निर्धारित मासिक अंशदान जमाकर करा सकते है। यदि निर्माण श्रमिक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक की होगी तो उनकी सदस्यता/नवीकरण अधिकतम 60 वर्ष के उम्र तक के लिए ही की जा सकेगी तथा उसी अनुरूप मासिक अंशदान स्वीकार की जायेगी। यदि निबंधित निर्माण श्रमिक की सदस्यता ससमय अंशदान जमा न करने के कारण टूट गई हो तो सदस्यता में इस टूट को निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पुर्नजीवित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्माण श्रमिक टूट की अवधि का बकाया अंशदान पचास पैसे प्रतिमाह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे। परन्तु इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा। पूर्व मे बोर्ड में निबंधित सभी कामगार जिनका अंशदान जमा न करने के कारण सदस्यता में टूट हो गई है, का भी पचास पैसे प्रतिमाह की दर से बकाया अंशदान जमा करके सदस्यता पुर्नजीवित किया जा सकेगा।

निबंधन हेतु आवेदन पत्र बोर्ड के Web-site www.bocw-bihar.in पर या पंचायत रोजगार सेवक/श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

पंजीयन की प्रक्रिया

संबंधित पंचायत रोजगार सेवक (PRS) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण स्थलों पर जाकर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का आवेदन व वांछित कागजात व विहित शुल्क प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी प्राप्त सभी आवेदन का, जिसमें कम से कम 5 प्रतिशत उनके द्वारा स्वयं भी जॉच किया गया हो, को प्रखंड सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रखंड सत्यापन समिति द्वारा आवेदन को सही पाने पर निबंधन, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित हैं) के द्वारा आधार कार्ड सत्यापन के बाद किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों का निबंधन जिला स्तर पर गठित जिला सत्यापन समिति द्वारा आवेदक के योग्य पाने पर एवं श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी की अनुशंसा पर श्रम अधीक्षक द्वारा (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित है) आधार कार्ड सत्यापन के बाद किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर संबंधित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र पर श्रम अधीक्षक द्वारा निबंधन हेतु सत्यापन समिति द्वारा अनुशंसित सभी आवेदनों को बोर्ड द्वारा विकसित Online Software में अपलोड कराया जायेगा तत्पश्चात निबंधित निर्माण श्रमिकों को परिचय–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। असंतुष्ट कामगार जिनका आवेदन अस्वीकृत किया गया हो अपने क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकेंगे।

कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिए निधि (Fund) की व्यवस्था :–

कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ कई कल्याण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार को उपकर (Cess) वसूल कर कल्याण कार्यक्रम चलाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं निजी, व्यवसायिक निर्माण का कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) सेस कल्याण बोर्ड में जमा करना है। वैसे नियोजक जो निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करते हैं, उसके लिए दण्ड प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक प्रतिशत 'सेस' की बकाया राशि पर प्रतिमाह अधिकतम दो प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगा। 'सेस' जमा नहीं करने पर वैसे व्यक्तियों के विरूद्ध जिनके ऊपर 'सेस' जमा करने का दायित्व है, फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके अन्तर्गत 06 माह की कैद एवं जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। बकाये 'सेस' की वसूली के लिए सर्टिफिकेट प्रोसिडिंग चलाया जायेगा और भू– लगान वसूली की तरह वसूली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी ।

कल्याणकारी योजनाएँ

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं, जो निम्न है :–

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत देय राशि	किन्हें देय है	अहर्ता	विशेषता
1	मातृत्व लाभ	रू0 10,000/– प्रति शिशु प्रथम दो प्रसव तक।	पंजीकृत महिला कामगार	सदस्यता	निबंधित महिला निर्माण कामगारों के प्रथम दो प्रसव तक। शिशु जन्म प्रमाण पत्र अथवा अस्पताल प्रसव प्रमाण–पत्र आवश्यक। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त है।
2	पेंशन	(क) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 1000/– प्रतिमाह (ख) रू0 1000/ प्रतिमाह पेंशन	18 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के निबंधित निर्माण कामगार 40 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात निबंधित होने वाले निर्माण कामगार	60 वर्ष आयु के पश्चात। 60 वर्ष आयु के पश्चात तथा कम से कम 01 वर्ष की सदस्यता।	अटल पेंशन योजना से अच्छादित निबंधित निर्माण कामगार का बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण प्रिनियम राशि का भुगतान। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अच्छादित न हो।
3	विकलांगता पेंशन	रू0 1000/– प्रतिमाह पेंशन।	निबंधित निर्माण कामगार।	सदस्यता	लकवा, कोढ़, टी0बी0 अथवा दूर्घटना आदि के द्वारा स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में पेंशन की राशि 1000/–प्रतिमाह तथा स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त रू0 75000/–तथा स्थायी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त अनुदान रू0 50,000/–
4	मृत्यु लाभ	(क) स्वाभाविक मृत्यु में रू0 1,00,000/–(एक लाख) (ख) दुर्घटना मृत्यु में रू0 4,00,000/– (रू0 चार लाख)।	निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को।	सदस्यता	स्वाभाविक मृत्यु में निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) एवं दुर्घटना मृत्यु के मामले में रू0 4,00,000/– (रू0 चार लाख) का अनुदान देय है लेकिन यदि दुर्घटना मृत्यु आपदा के समय होती है जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया हो तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा दुर्घटना मृत्यु में मात्र रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) देय है।
5	नकद पुरस्कार	रू0 25,000/–, रू0 15,000/– एवं रू0 10,000/–	निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र एवं एक पुत्री को	सदस्यता	प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के तीन निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र एवं एक पुत्री जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अपने जिला में अधिकतम अंक प्राप्त किया हो, उन्हें पुरस्कार की राशि देय है।
6	लाभार्थी की चिकित्सा राहायता	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि	निबंधित निर्माण कामगार	सदस्यता	निबंधित निर्माण कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता प्राप्त नहीं किया हो, को असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के सकल्प संख्या– 2353(14) दिनांक 12.09.2006 सह–पठित संकल्प ज्ञापांक– 752 (14) दिनांक 26.06. 2015 द्वारा निर्धारित राशि के समतुल्य चिकित्सा सहायता देय है।
7	शिक्षा के वित्तीय सहायता	(क) आई.आई.टी. / आई.आई.एम. /एम्स आदि जैसे अन्य उत्कृष्ट कोटि के सरकारी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में दाखिला होने पर पुरे कोर्स का ट्युशन फीस (ख) बी.टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए एकमुश्त रू0	निर्माण कामगारों के पुत्र/पुत्री को।	सदस्यता	निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्रियों को आई .आई.टी./आई.आई. एम./एम्स जैसे अन्य उत्कृष्ट कोटि के सरकारी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन के लिए दाखिला होने पर। बी–टेक या समकक्ष कोर्स के अध्ययन के लिए भारतवर्ष में कहीं भी सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर। पोलिटेकनिक/नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर।

		20,000/– (रू0 बीस हजार). (ग) पोलिटेक्नीक/ नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए एकमुश्त रू0 10,000/– (घ) आई.टी.आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त रू0 5000/–			सरकारी आई.टी.आई. या समकक्ष में दाखिला होने पर।
8	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार)।	निबंधित पुरूष /महिला कामगार।	तीन वर्षो की सदस्यता।	निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम दो वयस्क पुत्रियों के अथवा स्वयं महिला सदस्यों के विवाह के लिए देय है, परन्तु दूसरी शादी करने वाले निर्माण श्रमिक इस लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह अनुदान योजना अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
9	भवन मरम्मती अनुदान योजना	रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार)	निबंधित निर्माण कामगार	तीन वर्ष की सदस्यता।	निबंधित निर्माण कामगार जो बोर्ड में तीन वर्षो की लगातार सदस्यता पुरी कर लिये होंगे, इस अनुदान की पात्रता रखेंगे। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अवधि में एक ही बार अनुदान देय है अतः जिन कामगारों को पूर्व में भवन निर्माण/मरम्मति औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।
10	साईकिल क्रय अनुदान योजना	अधिकतम रू0 4000/– (रू0 चार हजार) का कुपन।	निबंधित निर्माण कामगार।	एक वर्ष की सदस्यता	
11	औजार क्रय अनुदान योजना	अधिकतम रू0 15000/– का औजार।	निबंधित निर्माण कामगार।	एक वर्ष की सदस्यता।	कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोपरान्त उनके प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेड का औजार।
12	दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता	रू0 1000/–	निबंधित निर्माण श्रमिक के आश्रित को	सदस्यता	
13	पारिवार पेंशन	पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत या रू0 100 में, जो भी अधिक हो।	निबंधित निर्माण श्रमिक के जीवित पति/पत्नी।	पेंशनधारी के मृत्यु के पश्चात।	

पारदर्शिता हेतु सभी कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में RTGS पद्वति से अन्तरित की जायेगी।

निर्माण कामगार एवं उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को सुखी करना एवं उनके चेहरे पर मुस्कान लाना हीं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उद्देश्य है।